माननीय न्यायमूर्ति *M. Jeyapaul & Darshan Singh, JJ.*

अमरजीत कौर-याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ बेंच- उत्तरदाता

CWP No.19241 of 2014

October 30, 2015

A) भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14,16 और 226-चयन प्रक्रिया-याचिकाकर्ता ने पूरी चयन प्रक्रिया में भाग लिया-असफल घोषित-पलट नहीं सकता और बाद में तर्क दे सकता है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया अनुचित थी और चयन समिति का उचित रूप से गठन नहीं किया गया था।

B) भारत का संविधान, 1950-न्यायिक समीक्षा-चयन प्रक्रिया-चयन समिति के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है-अदालत उम्मीदवार की योग्यता का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है-भर्ती समिति के सदस्य सभी प्रासंगिक कारकों और पद के लिए उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार में अंक देने के लिए सबसे अच्छे न्यायाधीश हैं।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस न्यायालय ने मुकेश बाला बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2015 (1) एस. एल. आर. 290 के रूप में एक नवीनतम निर्णय में यह निर्धारित किया है कि केवल इसलिए कि कुछ उम्मीदवारों, जिन्होंने मानदंड के शैक्षणिक शीर्ष में उच्च अंक प्राप्त किए थे, को साक्षात्कार में कम अंक दिए गए हैं, वास्तव में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि यह अभ्यास जानबूझकर किया गया है, विशेष रूप से जब चयन समिति के किसी भी सदस्य को प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में विशिष्ट आरोप याचिका में परिलक्षित होते हैं या याचिका दायर की गई है। विधि के पूर्वोक्त अनुपात को ध्यान में रखते हुए केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, निष्कर्ष निकालने और चयन प्रक्रिया को अमान्य या अवैध घोषित करने का कोई आधार नहीं है, जब तक कि यह दिखाने के लिए कुछ भी न हो कि संपूर्ण चयन दुर्भावना या पूर्वाग्रह या साक्षात्कार के कारण दूषित किया गया था, समिति के सदस्यों ने शुरू से ही एक गलत उद्देश्य के साथ काम किया था और पूरी चयन प्रक्रिया एक छलावा थी। तत्काल मामले में याचिका में केवल अस्पष्ट आरोपों का उल्लेख किया गया है कि यह पक्षपात का मामला है क्योंकि निजी प्रतिवादी अनुबंध के आधार पर आधिकारिक उत्तरदाताओं के विभाग में काम कर रहा था। चयन समिति के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया है। दिनांक 13.08.2013 (अनुलग्नक ए-6) की कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि चयन समिति में कार्मिक विभाग और जिला सैनिक बोर्ड के प्रतिनिधि सहित 7 सदस्य थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशक को छोड़कर, भर्ती समिति के किसी अन्य सदस्य को मूल आवेदन या वर्तमान रिट याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि निजी प्रत्यर्थी को कोई पक्ष दिखाने के लिए भर्ती समिति के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि भर्ती समिति के सदस्य सभी प्रासंगिक कारकों और पद के लिए उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार में अंक देने के लिए सबसे अच्छे न्यायाधीश हैं। न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करते समय, न्यायालय उम्मीदवार के गुण-दोष का

पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। इस प्रकार, निजी प्रत्यर्थी को दिए गए अंकों में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है।

(Para 24)

इसके अलावा, यह भी विवादित नहीं है कि वर्तमान याचिकाकर्ता ने पूरी चयन प्रक्रिया में भाग लिया है और जब उसे असफल घोषित किया गया तो उसने विद्वत न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन दायर किया। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि यदि कोई उम्मीदवार एक सोचा-समझा मौका लेता है और साक्षात्कार में उपस्थित होता है, तो क्योंकि साक्षात्कार का परिणाम उसे पसंद नहीं है, इसलिए वह पलट नहीं सकता है और बाद में तर्क दे सकता है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया अनुचित थी या चयन समिति का उचित रूप से गठन नहीं किया गया था। ओम प्रकाश शुक्ला बनाम अखिलेश कुमार शुक्ला और अन्य, ए. आई. आर. 1986 एस. सी. 1043 मामले का संदर्भ दिया जा सकता है।

DARSHAN SINGH, J

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत वर्तमान सिविल रिट याचिका याचिकाकर्ता अमरजीत कौर द्वारा दायर की गई है, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ (इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) द्वारा नियमित आधार पर क्लर्क (एससी) के पद के लिए योग्यता-सह-चयन सूची दिनांक 13.08.2013 द्वारा पारित दिनांक 31.07.2014 के आदेश को दरकिनार करने के लिए certiorari की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए दायर किया गया है और क्लर्क एससी श्रेणी के एक पद के चयन के लिए 13.08.2013 को हुई प्रत्यक्ष भर्ती समिति की बैठक की कार्यवाही जिसके तहत निजी प्रतिवादी नंबर. 4 निशु को अवैध रूप से चुना गया है। आगे यह प्रार्थना की जाती है कि mandamus की प्रकृति में रिट जारी की जाए, जिसमें आधिकारिक उत्तरदाताओं को निजी उत्तरदाता द्वारा दिए गए टाइपिंग परीक्षण की पुनः जांच/पुनर्मूल्यांकन करने और कॉलम में छेड़छाड़ के तथ्य को सत्यापित करने का निर्देश दिया जाए, जिसमें निजी उत्तरदाता द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक दिखाए जाएं।

(2) रिट याचिका के अनुसार, चंडीगढ़ प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग ने अनुसूचित जाति श्रेणी के क्लर्क (नियमित) के एक पद और शिपाई के एक पद को भरने के लिए दिनांक 14.12.2012 को वैकेंसी नोटिस जारी किया। (regular). क्लर्क के पद के लिए चयन मानदंड में तीन चरण शामिल थे।

(i) अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ लेखन परीक्षा (योग्यता परीक्षा) टाइप करें,
(ii) लिखित परीक्षा 90 अंक

(iii) साक्षात्कार 10 अंक

(3) याचिकाकर्ता के साथ-साथ निजी प्रतिवादी ने 30.06.2013 को आयोजित प्रकार परीक्षण को अर्हता प्राप्त की। टाइपिंग टेस्ट उत्तीर्ण करने वाले सभी उम्मीदवार 03.08.2013 को आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए। याचिकाकर्ता ने उच्चतम अंक यानी i.e. प्राप्त किए। 90 में से 72 और निजी उत्तरदाता ने 90 में से 67 अंक प्राप्त किए। इसके बाद, साक्षात्कार 13.08.2013 को आयोजित किया गया। तीन उम्मीदवार जिन्होंने साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त की है, अर्थात् याचिकाकर्ता, निजी प्रतिवादी नंबर. 4 निशु और सुनील विमल को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। उक्त साक्षात्कार में, याचिकाकर्ता को 10 में से 04

अंक दिए गए थे और निजी प्रतिवादी को 10 में से 8.5 अंक दिए गए थे। इस प्रकार, निजी प्रतिवादी ने कुल 76.5 अंक प्राप्त किए और याचिकाकर्ता ने कुल 76 अंक प्राप्त किए, जो निजी प्रतिवादी को दिए गए अंकों से मामूली रूप से कम है। निजी प्रत्यर्थी का चयन दिनांक 13.06.2013 की मेरिट-सह-चयन सूची और 13.08.2013 को आयोजित प्रत्यक्ष भर्ती समिति की बैठक की कार्यवाही के अनुसार क्लर्क (नियमित) अनुसूचित जाति श्रेणी के पद के लिए किया गया था|

(4) यह भी अनुरोध किया जाता है कि निजी प्रत्यर्थी के प्रकार परीक्षण की ठीक से जांच नहीं की गई थी, जो कि योग्यता परीक्षण था। जाँच करते समय कई ओवर-टाइपिंग और वर्तनी की गलतियों को नहीं गिना गया। अगर इन पर विचार किया जाता, तो वह साक्षात्कार के लिए योग्य भी नहीं होतीं। लिखित परीक्षा की प्रति से पता चलता है कि निजी उत्तरदाता की उत्तर पुस्तिका में कुछ छेड़छाड़ की गई है। निजी प्रत्यर्थी का चयन पक्षपात का स्पष्ट मामला है क्योंकि निजी प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी विभाग में अनुबंध के आधार पर काम कर रहा था। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में, आधिकारिक उत्तरदाताओं ने किसी न किसी तरह से निजी उत्तरदाता का पक्ष लेने की कोशिश की थी। साक्षात्कार में भाग लेने वाले अन्य दो उम्मीदवारों को बहुत कम अंक दिए गए थे, जबकि निजी उत्तरदाता को बहुत अधिक अंक दिए गए थे i.e. 8.5., जिसके कारण उसे याचिकाकर्ता i.e की तुलना में मामूली अधिक अंक मिले। केवल 0.5 अंक। याचिकाकर्ता ने झुकाव वाले न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन को विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 31.07.2014 के विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। इसलिए यह याचिका |

(5) उत्तरदाता संख्या. 2 और 3 (आधिकारिक उत्तरदाताओं) ने इस आधार पर रिट याचिका का विरोध किया कि अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित क्लर्क के पद के लिए चयन विभाग की सिफारिश पर किया गया था, जिसमें कार्मिक विभाग और जिला सैनिक बोर्ड, U.T के कार्यालय के विशेषज्ञ सहित छह सदस्यों का गठन किया गया था। चंडीगढ़। चयन समिति ने उम्मीदवारों के व्यावहारिक ज्ञान का निर्धारण किया। चयन के लिए निर्धारित मानदंडों और अन्य आवश्यकताओं जैसे शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आयु आदि को चयन के समय ध्यान में रखा गया है। चयन प्रक्रिया में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। याचिकाकर्ता ने चयन प्रक्रिया में कम अंक प्राप्त किए और उसे नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। उत्तरदाताओं ने आगे दलील दी कि परीक्षा पत्रकों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं है। किसी भी उम्मीदवार के प्रति कोई पक्षपात नहीं दिखाया गया। चयन विशुद्ध रूप से चयन प्रक्रिया और चयन के विभिन्न चरणों में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया गया था। किसी भी आधिकारिक उत्तरदाता द्वारा किसी भी उम्मीदवार की मदद करने या उसका पक्ष लेने की कोशिश करने का कोई सवाल ही नहीं था। साक्षात्कार चयन समिति द्वारा किया गया था जो अपने-अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे।

(6) निजी प्रत्यर्थी ने प्रारंभिक आपत्तियों को लेते हुए अलग से लिखित बयान भी दायर किया कि याचिकाकर्ता ने अदालत से स्वच्छ हाथों से संपर्क नहीं किया है, उसे इस अदालत से संपर्क करने का कोई अधिकार नहीं है, वह रोक और स्वीकृति के सिद्धांत से बाध्य है। आगे यह दलील दी गई कि याचिकाकर्ता की ओर से यह पूरी तरह से अनुचित है कि चयन प्रक्रिया में खुद को चुनने का मौका लेने के बाद, वह अब चयन प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है क्योंकि चयन उसके पक्ष में नहीं गया है। रिट याचिका में उठाई गई अन्य सभी याचिकाओं का विरोध किया गया था।

(7) हमने श्री अमन धीर, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, श्री I.P.S. को सुना है। दोआबिया, अधिवक्ता, प्रतिवादी नं. 2 के लिए विद्वान वकील, श्री नवजोत सिंह, अधिवक्ता, प्रतिवादी नं. 3 के लिए विद्वान वकील, श्री विकास चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादी नं. 4 के लिए विद्वान वकील और पेपर-बुक को सावधानीपूर्वक देखा है।

(8) यह उल्लेख करना भी उचित है कि चयन प्रक्रिया का मूल रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था और हमारे द्वारा इसका अवलोकन किया गया था, जिसे आधिकारिक उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील को वापस कर दिया गया था।

(9) Mr.Aman Dhir, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील ने तर्क दिया कि निजी प्रतिवादी पहले से ही अनुबंध के आधार पर आधिकारिक उत्तरदाताओं के साथ सेवा कर रहा था। आधिकारिक उत्तरदाताओं ने चयन प्रक्रिया के हर चरण में उनका समर्थन किया था। निजी उत्तरदाता का चयन पक्षपात से ग्रस्त है। उन्होंने तर्क दिया कि उनके टाइप टेस्ट में विभिन्न गलतियों, जो एक योग्यता परीक्षा थी, को केवल लिखित परीक्षा देने और साक्षात्कार में भाग लेने के योग्य बनाने के लिए नजरअंदाज कर दिया गया है, अन्यथा वह दौड़ से बाहर हो जाती। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने सभी उम्मीदवारों में से लिखित परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। उसने लिखित परीक्षा में 90 में से 72 अंक प्राप्त किए, जबकि उत्तरदाता नंबर. 4 ने केवल 68 अंक प्राप्त किए। लेकिन निजी उत्तरदाता का चयन करने के लिए, उसे बहुत उच्च अंक i.e से सम्मानित किया गया था। साक्षात्कार में 10 में से 8.5 अंक, जबकि याचिकाकर्ता को केवल 4 अंक दिए गए थे। दूसरे उम्मीदवार को भी 4 अंक दिए गए, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त अंकों को पार करने के लिए साक्षात्कार में निजी प्रतिवादी को बहुत अधिक अंक दिए गए हैं, जो स्पष्ट रूप से आधिकारिक उत्तरदाताओं के पक्षपात को दर्शाता है और पूरी चयन प्रक्रिया दूषित है और अवैध है।

(10) उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (इसके बाद आरटीआई अधिनियम के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता और निजी प्रतिवादी की लिखित परीक्षा उत्तर पुस्तिका की प्रति प्राप्त की है, जो दर्शाता है कि निजी प्रतिवादी की उत्तर पुस्तिका पर मूल्यांकनकर्ता और निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर भी नहीं किए गए थे। यहां तक कि प्राप्त अंकों के कॉलम भी खाली पड़े थे। आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा दायर लिखित बयान में भी इस तथ्य का विशेष रूप से खंडन नहीं किया गया है, बल्कि यह तर्क दिया गया है कि उनके हस्ताक्षर आवश्यक नहीं थे। उन्होंने तर्क दिया कि जब मूल रिकॉर्ड अदालत में पेश किया गया था, तो ये कॉलम विधिवत भरे हुए पाए गए थे, जिससे पता चलता है कि रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस प्रकार, उन्होंने अनुरोध किया कि प्रत्यर्थी संख्या. 4 का चयन अपास्त करने के लिए उत्तरदायी है और न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन को गलत तरीके से खारिज कर दिया है।

(11) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि चयन प्रक्रिया के मानदंडों के अनुसार चयन निष्पक्ष तरीके से किया गया था। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि निजी प्रत्यर्थी को कोई अनुग्रह दिखाया गया था। साक्षात्कार में अंक साक्षात्कार के समय उम्मीदवार के प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं। विशेषज्ञों से बनी भर्ती समिति उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा न्यायाधीश है और न्यायालय उम्मीदवारों की योग्यता का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

(12) उन्होंने आगे तर्क दिया कि आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतियों की आपूर्ति में अधिकारियों की ओर से केवल लापरवाही चयन प्रक्रिया को अवैध नहीं बना सकती है क्योंकि लिखित परीक्षा में दिए गए अंकों में कोई गलती नहीं बताई जा सकती है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के टाइप टेस्ट में गलतियों को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। वे गलतियाँ टाइपिंग मशीनों में कुछ यांत्रिक दोष का परिणाम थीं। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि चयन प्रक्रिया में कोई अवैधता नहीं है और याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन को विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है।

(13) हमने उपरोक्त दलीलों पर विधिवत विचार किया है।

(14) तथ्य विवादित नहीं हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग ने विज्ञापन दिनांक 14.12.2012 के माध्यम से अनुसूचित जाति श्रेणी के क्लर्क (नियमित) के एक पद का विज्ञापन किया है। विज्ञापन के अनुसार, क्लर्क के पद के लिए चयन मानदंड में निम्नलिखित तीन चरण शामिल थेः

(i) टाइपराइटिंग टेस्ट (क्वालिफाइंग टेस्ट) (ii) लिखित परीक्षा 90 अंक, (iii) साक्षात्कार 10 अंक

(15) यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता के साथ-साथ निजी प्रतिवादी ने योग्यता टाइपिंग टेस्ट को पास कर लिया है और आगे लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में भाग लिया है। लिखित परीक्षा में, याचिकाकर्ता ने 72 अंक यानी i.e प्राप्त किए। भाग-1 में 57 अंक और भाग-2 में 15 अंक। निजी उत्तरदाता निशु ने 68 अंक यानी i.e प्राप्त किए। भाग-I में 52 अंक और भाग-II में 16 अंक। याचिकाकर्ता, निजी प्रतिवादी और एक सुनील विमल को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। याचिकाकर्ता ने 10 अंकों में से 4 अंक प्राप्त किए, निजी उत्तरदाता ने 8.5 अंक प्राप्त किए और सुनील विमल ने साक्षात्कार में 4 अंक प्राप्त किए। याचिकाकर्ता ने कुल 76 अंक प्राप्त किए और निजी प्रतिवादी निशु ने कुल 76.5 अंक प्राप्त किए और उनका चयन किया गया।

(16) याचिकाकर्ता निजी प्रत्यर्थी के चयन पर इस आधार पर आरोप लगा रहा है कि टाइपिंग टेस्ट में उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया गया है; दूसरा, कि उसे साक्षात्कार में असाधारण उच्च अंक दिए गए हैं, केवल याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त अंकों को पार करने के लिए, जिसे साक्षात्कार में बहुत कम अंक दिए गए थे और तीसरा, कि यह पक्षपात का एक स्पष्ट मामला है क्योंकि निजी प्रत्यर्थी पहले से ही अनुबंध के आधार पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर प्रत्यर्थी विभाग में काम कर रहा था।

(17) यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि नियुक्तियों और चयन के मामले में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। चयन समिति के निर्णय में चयन समिति के गठन में अवैधता या पेटेंट सामग्री की अनियमितता, चयन समिति द्वारा चयन को दूषित करने वाली प्रक्रिया या चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली सिद्ध दुर्भावना जैसे सीमित आधारों पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। न्यायालय चयन समिति के निर्णय पर अपील नहीं कर सकता है।

(18) दिनांक 09.10.2015 के आदेश के अनुसार, आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी देने वाले अधिकारी और टाइपिंग टेस्ट के मूल्यांकनकर्ता को स्थिति स्पष्ट करने के लिए अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। सुनवाई के समय ये दोनों अधिकारी उपस्थित हुए हैं। मूल्यांकनकर्ता, निरीक्षक और अंकों के हस्ताक्षर के संबंध में निजी उत्तरदाता की लिखित परीक्षा उत्तर पुस्तिका में चूक, प्रतियां तैयार करने वाले अधिकारियों की ओर से एक अनजाने में हुई गलती बताई गई है। उन्होंने यह भी रुख अपनाया कि उनके कार्यालय में फोटोस्टेट मशीन ने ज़ेरॉक्स को उक्त शब्द लिखा जो लाल स्याही में लिखा गया था। लेकिन हम आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारी द्वारा दिए गए उपरोक्त स्पष्टीकरणों से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि यह एक जिम्मेदार वैधानिक कर्तव्य है। उस वैधानिक कर्तव्य का पालन करने वाला लोक सूचना अधिकारी आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदान की जा रही प्रतियों/सूचनाओं की ठीक से जांच और प्रमाणित करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत है, लेकिन यहां इस मामले में, उन्होंने इस महत्वपूर्ण वैधानिक कर्तव्य का पालन करने की उपेक्षा की है। हालाँकि, उनकी ओर से यह चूक या लापरवाही मामले के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करने वाली है। निजी उत्तरदाता ने लिखित परीक्षा में 68 अंक प्राप्त किए थे। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील यह इंगित करने में सक्षम नहीं हुए हैं कि निजी प्रतिवादी को इस प्रकार दिए गए अंक गलत थे। अनुलग्नक ए-4 03.08.2013 को आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम की प्रति है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी प्राप्त किया गया है। लिखित परीक्षा के लिए इस परिणाम में, याचिकाकर्ता के अंक 72 और निजी प्रतिवादी के अंक 68 दिखाए गए हैं। उनके स्कोर में कोई कटिंग या ओवरराइटिंग नहीं है। इस परिणाम पर 03.08.2013 को ही प्रिंसिपल, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ और एक श्री अरुण कुमार द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इसलिए, लिखित परीक्षा में निजी उत्तरदाता को दिए गए अंकों में कोई विसंगति या गलती नहीं है।

(19) जहां तक प्रकार परीक्षण का संबंध है, यह केवल एक योग्यता परीक्षण था। प्रतिस्पर्धा के लिए पात्र होने के लिए, एक उम्मीदवार को अंग्रेजी टाइपराइटिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति की आवश्यकता थी। याचिकाकर्ता के टाइपिंग टेस्ट की प्रति पेपरबुक के पृष्ठ 52 पर उपलब्ध है। जिससे पता चलता है कि उसकी गति 29.6 w.p.m. थी, जिसे 30 w.p.m. लिया गया है, जबकि निजी उत्तरदाता की गति 30.8 w.p.m. थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यर्थी संख्या. 4 के टाइपिंग टेस्ट में कुछ गलतियों को गिना नहीं गया है, लेकिन याचिकाकर्ता के टाइपिंग टेस्ट की स्थिति समान है। टाइपिंग परीक्षण का मूल्यांकन करने वाले संबंधित अधिकारी ने बताया है कि टाइपिंग मशीनों में यांत्रिक दोषों के कारण कुछ गलतियाँ हुई हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील इस बात पर विवाद नहीं कर सकते हैं कि याचिकाकर्ता अमरजीत कौर के टाइप टेस्ट में कुछ गलतियों को भी मूल्यांकनकर्ता द्वारा नहीं गिना गया है। अगर उन गलतियों को गिना जाता तो वह भी दौड़ से बाहर हो जाती। इसलिए, निजी प्रतिवादी के प्रकार परीक्षण में कुछ गलतियों की अनदेखी के कारण वर्तमान याचिकाकर्ता को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है क्योंकि याचिकाकर्ता को भी इसी तरह का लाभ मिला है।

(20) योग्यता-सह-चयन सूची की प्रति के साथ-साथ 13.08.2013 को आयोजित भर्ती समिति की बैठकों की कार्यवाही से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में 10 अंकों में से 04 अंक दिए गए थे, जबकि निजी प्रतिवादी को 8.5 अंक दिए गए थे। सवाल यह उठता है कि क्या न्यायालय मौखिक साक्षात्कार में अंक देने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकता है और उम्मीदवारों की योग्यता का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। मौखिक साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में अंक विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं जैसे कि साक्षात्कार के समय उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुति, उसका व्यक्तित्व, योग्यता, ज्ञान और संबंधित पद के लिए उपयुक्तता। भर्ती समिति के सदस्य, जिनके समक्ष उम्मीदवार उपस्थित हुए थे, साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में अंक देने के लिए उपरोक्त उल्लिखित कारकों का आकलन करने के लिए सबसे अच्छे न्यायाधीश हैं। केवल यह

तथ्य कि याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, साक्षात्कार में निजी प्रतिवादी को दिए गए अंकों में त्रुटि पाए जाने का कोई आधार नहीं है। अशोक कुमार यादव बनाम हरियाणा राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया हैः–

"लिखित परीक्षा के बजाय मौखिक परीक्षा को दिए जाने वाले सटीक महत्व के संबंध में कोई कठोर और तेज नियम नहीं हो सकता है। यह सेवा, निर्धारित न्यूनतम योग्यता, जिस आयु वर्ग से चयन किया जाना है, जिस निकाय को वाइवा वॉस टेस्ट आयोजित करने का कार्य कई अन्य कारकों को सौंपा जाना प्रस्तावित है, से भिन्न होना चाहिए। यह अनिवार्य रूप से विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित करने का विषय है।"

(21) दलपत अबासाहेब सोलुंके बनाम डॉ. B.S. मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय। महाजन ने निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया हैः-

"इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि चयन समितियों के निर्णयों पर अपील सुनना और उम्मीदवारों के सापेक्ष गुणों की जांच करना न्यायालय का कार्य नहीं है। कोई उम्मीदवार किसी विशेष पद के लिए उपयुक्त है या नहीं, यह विधिवत गठित चयन समिति द्वारा तय किया जाना है, जिसके पास इस विषय पर विशेषज्ञता है। न्यायालय के पास ऐसी कोई विशेषज्ञता नहीं है। चयन समिति के निर्णय में केवल सीमित आधारों पर हस्तक्षेप किया जा सकता है, जैसे कि समिति के गठन या चयन को दूषित करने वाली इसकी प्रक्रिया में अवैधता या पेटेंट सामग्री की अनियमितता, या चयन को प्रभावित करने वाली दुर्भावना साबित होना आदि।"

(22) पुनः मदन लाल और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में निर्धारित कियाः-

10. "इसलिए, योग्यता के आधार पर साक्षात्कार परीक्षा के परिणाम को उस उम्मीदवार द्वारा सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दी जा सकती है जो उक्त साक्षात्कार में चयनित होने का मौका लेता है और जो अंततः खुद को असफल पाता है। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस याचिका में हम अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठ सकते हैं और मौखिक साक्षात्कार में मूल्यांकन किए गए संबंधित उम्मीदवारों के प्रासंगिक गुणों का पुनर्मूल्यांकन करने का प्रयास नहीं कर सकते हैं और न ही याचिकाकर्ता हमारे सामने सफलतापूर्वक आग्रह कर सकते हैं कि उन्हें कम अंक दिए गए थे, हालांकि उनका प्रदर्शन बेहतर था। यह साक्षात्कार समिति के लिए है, जिसमें अन्य बातों के अलावा उच्च न्यायालय का एक वर्तमान न्यायाधीश शामिल होता है, जो ऐसे साक्षात्कारों को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियमों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आलोक में मौखिक रूप से साक्षात्कार किए गए उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यता का न्याय करता है। इसलिए, ऐसी विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए गुण-दोष के मूल्यांकन को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि मूल्यांकन उचित या उचित नहीं था क्योंकि यह एक अपीलीय निकाय का कार्य होगा और हम निश्चित रूप से ऐसी विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन पर अपील की अदालत के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं।"

(23) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में दुर्गा देवी और एक अन्य बनाम H.P.4 राज्य में, स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि न्यायाधिकरण स्वयं पद के लिए फिटनेस के लिए उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता की जांच नहीं कर सकता है। यह चयन समिति का कार्य है।

(24) इस न्यायालय ने मुकेश बाला बनाम हरियाणा राज्य और अन्य शीर्षक वाले एक नवीनतम निर्णय में यह भी कहा है कि केवल इसलिए कि कुछ उम्मीदवारों, जिन्होंने मानदंड के शैक्षणिक शीर्ष में उच्च अंक प्राप्त किए थे, को साक्षात्कार में कम अंक दिए गए हैं, वास्तव में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि यह अभ्यास जानबूझकर किया गया है, विशेष रूप से जब चयन समिति के किसी भी सदस्य को प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में विशिष्ट आरोप याचिका में परिलक्षित होते हैं या याचिका दायर की गई है। विधि के पूर्वोक्त अनुपात को ध्यान में रखते हुए केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, निष्कर्ष निकालने और चयन प्रक्रिया को अमान्य या अवैध घोषित करने का कोई आधार नहीं है, जब तक कि यह दिखाने के लिए कुछ भी न हो कि संपूर्ण चयन दुर्भावना या पूर्वाग्रह या साक्षात्कार के कारण दूषित किया गया था, समिति के सदस्यों ने शुरू से ही एक गलत उद्देश्य के साथ काम किया था और पूरी चयन प्रक्रिया एक छलावा थी। तत्काल मामले में याचिका में केवल अस्पष्ट आरोपों का उल्लेख किया गया है कि यह पक्षपात का मामला है क्योंकि निजी प्रतिवादी अनुबंध के आधार पर आधिकारिक उत्तरदाताओं के विभाग में काम कर रहा था। चयन समिति के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया है। दिनांक 13.08.2013 (अनुलग्नक ए-6) की कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि चयन समिति में कार्मिक विभाग और जिला सैनिक बोर्ड के प्रतिनिधि सहित 7 सदस्य थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशक को छोड़कर, भर्ती समिति के किसी अन्य सदस्य को मूल आवेदन या वर्तमान रिट याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि निजी प्रत्यर्थी को कोई पक्ष दिखाने के लिए भर्ती समिति के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि भर्ती समिति के सदस्य सभी प्रासंगिक कारकों और पद के लिए उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार में अंक देने के लिए सबसे अच्छे न्यायाधीश हैं। न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करते समय, न्यायालय उम्मीदवार के गुण-दोष का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। इस प्रकार, निजी प्रत्यर्थी को दिए गए अंकों में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है।

(25) यह भी विवादित नहीं है कि वर्तमान याचिकाकर्ता ने पूरी चयन प्रक्रिया में भाग लिया है और जब उसे असफल घोषित किया गया तो उसने विद्वत न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन दायर किया। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि यदि कोई उम्मीदवार एक सोचा-समझा मौका लेता है और साक्षात्कार में उपस्थित होता है, तो क्योंकि साक्षात्कार का परिणाम उसे पसंद नहीं है, इसलिए वह पलट नहीं सकता है और बाद में तर्क दे सकता है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया अनुचित थी या चयन समिति का उचित रूप से गठन नहीं किया गया था। ओम प्रकाश शुक्ला बनाम अखिलेश कुमार शुक्ला और अन्य के मामले का संदर्भ दिया जा सकता है।

(26) इस प्रकार, हमारी उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम क्लर्क (नियमित) अनुसूचित जाति श्रेणी के पद के लिए आधिकारिक प्रत्यर्थी द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया में कोई अवैधता नहीं पाते हैं, जिसमें निजी प्रत्यर्थी निशु को सफल घोषित किया गया था और उक्त पद पर नियुक्त किया गया था। नतीजतन, विद्वत अधिकरण द्वारा पारित दिनांक 31.07.2014 का आक्षेपित आदेश इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान करने वाली किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है।

(27) परिणामस्वरूप, वर्तमान रिट याचिका में कोई गुण नहीं है और इसे एतद्द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आदित्य सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
रेवाडी (**हरियाणा**)